प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतालीस' [26/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 3090]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3090 प्रश्नकर्ता
मान. विधायक श्री निशंक कुमार जैन

परिशिष्ट

दिनांक 06.07.16

प्रति,

श्रीमान वाणिज्यिक कर अधिकारी
विदिशा वृत्त, विदिशा

विषय :- केवल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले सेटअप बॉक्स के संबंध में सत्यापन करने बावत।

संदर्भ :- श्रीमान का ज्ञाप/निर्देशन क्रमांक वाक/म.क./क्यू विदिशा दिनांक 05.07.2016

श्रीमान् द्वारा प्रदान निर्देशानुसार मेरे द्वारा मेसर्स एस.आर. डिजीटल कम्यूनिकेशन स्टेशन रोड गंजबासौदा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में जाकर उपरोक्त विषयानुसार जानकारी प्राप्त की गई।

एस.आर. डिजीटल कम्प्यूनिकेशन गंजबासौदा में श्री फारुक अहमद पुत्र श्री पीर खान जो कि मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं कथन किया गया कि सेन्ट्रल गवरमेंट के निर्देशानुसार समस्त केवल नेटवर्क को डिजीटल करने के प्राप्त निर्देशानुसार समस्त स्थानों पर डिजीटल बॉक्स लगाये जा रहे हैं, जिस हेतु रूपये 1200/- प्रति बॉक्स धरोहर राशि के रूप में एवं 150/- रूपये एक माह का केवल चार्ज तथा 50/- रूपये फिटिंग चार्ज के, इस प्रकार 1400/- रूपये लिये जा रहे हैं, जो कि सेटअप बॉक्स वापस किये जाने पर वापसी योग्य हैं। चूंकि सेटअप बॉक्स बिक्रय नहीं किये जा रहे हैं, इस कारण उपभोक्ता को कोई बिल नहीं दिये जाते हैं।

व्यवसाई द्वारा सेटअप बॉक्स मे० एग्रेसीव. डिजिटल सिस्टम प्रा.लि. गुणगांव हरियाणा एवं मेसर्स सुरभि दिल्ली से क्रय किये जाते हैं, जिसका क्रय मूल्य 1138/- के लगभग प्रति नग आता है। व्यवसायी द्वार लगभग 3000 नग सेटअप बॉक्स गंजबासौदा शहर में लगाये जा चुके हैं।

अतः व्यवसाई द्वारा सत्य कथन किया गया है कि उनके द्वारा सेटअप बॉक्स उपभोक्ताओं को विक्रय नहीं किये जा रहे केवल वापसी के आधार पर सेवा हेतु प्रदाय किये जा रहे हैं एवं राशि धरोहर के रूप में प्राप्त की जा रही है जो कि उपभोक्ता को वापसी योग्य है।

तद्नुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत।

हस्ता.
मनोज एस. लालवानी
वा.क.नि.
विदिशा

सत्यप्रति

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग.

letter2016.ramji